जैसलमेर जिले में ग्रामीण स्वशासन में महिला जन प्रतिनिधियों की डिजिटल साक्षरता : एक विश्लेषण

रेणुका चौधरी
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रो. (डॉ.) मीना बरड़िया
आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

शोध सारांश –

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला जनप्रतिनिधियों की बढ़ती भागीदारी से देश के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ महिलाओं के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता की ओर महिला प्रतिनिधियों का रूझान बढ़ रहा है। अभी देश में दो तरह के लोग रहते हैं, डिजिटल साक्षर और डिजिटल निरक्षर। जो महिला प्रतिनिधि स्वयं डिजिटल साक्षर है। वह स्वयं सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही है और गांव की अन्य महिलाओं को उस ओर प्रेरित कर रही है। दूसरी ओर जो महिलाएं डिजिटल निरक्षर है, वे योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है।

संकेताक्षर – **जैसलमेर, माण्डधरा, महिला प्रतिनधि, डिजिटल साक्षरता स्थानीय स्वशासन**, आत्मनिर्भरता

जैसलमेर जिला अवस्थिति मानचित्र

भारत राजस्थान

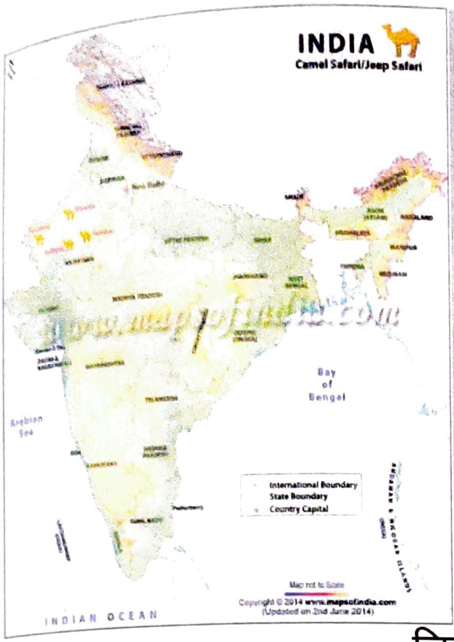

जिला जैसलमेर

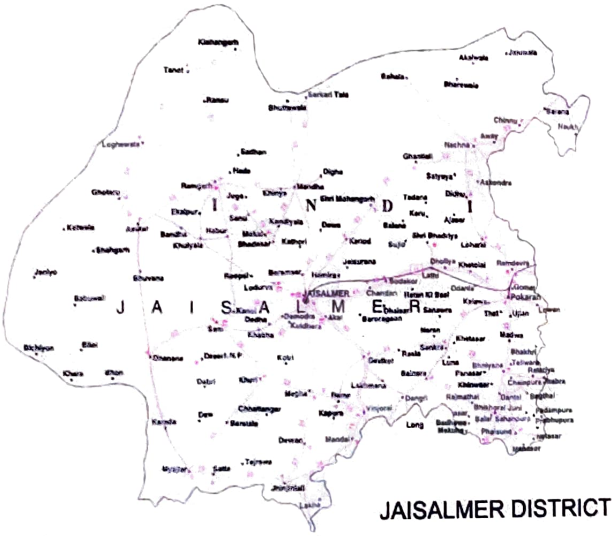

स्रोत : www.mapsofindia.com

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान के जैसलमेर जिले की वर्तमान स्थिति व जैसलमेर जिले में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला जनप्रतिनिधियों की डिजिटल साक्षरता पर है।

15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद देश में स्थानीय स्वायत्त शासन के नवयुग का सूत्रपात हुआ। गांधी जी की प्रेरणा तथा जवाहरलाल नेहरु के

प्रयासों से संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत रखा गया है।

सर्वप्रथम मेहता समिति की योजनानुसार राजस्थान में जवाहरलाल नेहरु ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर कस्बे में मंगलदीप प्रज्ज्वलित कर पंचायती राज का उद्घाटन किया। देश की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने, पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ करने देश के सभी राज्यों में पंचायती राज की अनिवार्यता एवं एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन, 1993 (तीन राज्यों मिज़ोरम, मेघालय व नागालैण्ड को छोड़कर सम्पूर्ण देश) में लागू किया गया।

पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया, एक तिहाई महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगी। वर्तमान में देश के 20 राज्यों में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है।

जैसलमेर भारत देश के राजस्थान प्रान्त का एक छोटा शहर है। राजस्थान क रेतीले टीलों के बीच बसा एक छोटा सा शहर जैसलमेर, जिसका प्राचीन नाम 'माण्डधरा' अथवा 'वल्लभमण्डल' था, जो वर्तमान समय में 'स्वर्णनगरी' के नाम से प्रसिद्ध है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण, पूरा शहर सोने–सा चमकता दिखाई देता है। सन् 1156 में भाटी राजा जैसल ने जैसलमेर जिले की स्थापना की और 12 वर्ष तक यहाँ शासन किया। राजा जैसल के नाम पर इस शहर का नाम जैसलमेर हो गया। जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध सोनार किला, पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है, पटवों की हवेली, गढ़ीसर तालाब, बड़ा बाग, वुड फॉसिल पार्क, सम के रेतीले टीले, कुलधरा अन्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई 'घोटुवां' है।

जैसलमेर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,69,919 (6.70 लाख) है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। इस जिले के पश्चिम से उत्तर तक पाकिस्तान से लगती हुई 471 कि.मी.

लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जिला है।

जैसलमेर जिला

विवरण	जनगणना 2011	जनगणना 2001
जनसंख्या	6,69,919	5,08,247
पुरुष	3,61,708	2,79,101
महिला	3,08,211	2,29,146
जनसंख्या वृद्धि	31.81%	24.39%
क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर	38,401	38,401
घनत्व प्रति वर्ग किमी	17	13
राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में	0.98%	0.90%
लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष)	852	851
औसत साक्षरता	57.22%	50.97%
पुरुष साक्षरता	72.04%	66.26%
महिला साक्षरता	39.71%	32.05%

जैसलमेर जिले में 2011 के आंकड़ों के अनुसार 38,401 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2001 में कुल जनसंख्या 5,08,247 थी जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6,69,919 हो गई। जिले में लिंगानुपात 852 प्रति 1000 पुरुष पर है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, क्योंकि जैसलमेर जिले में प्राचीन समय में कन्यावध, बालविवाह जैसी अन्य कई कुप्रथाएँ व्याप्त थी। कन्यावध जैसी कुप्रथा के प्रचलन के कई कारण थे, सर्वप्रथम कन्या के विवाह की समस्या आती थी, कठोर जाति व्यवस्था के कारण दूसरी जाति में तो विवाह किया ही नहीं जा सकता था। दूसरा कारण प्रत्येक समाज अपनी बेटी का विवाह अपने से ऊँचे घराने, शाही अथवा सामन्ती घराने में करने को अपनी प्रतिष्ठा समझता था, लेकिन ऐसे घर में विवाह के लिए उतना ही अधिक दहेज भी

जुटाना पड़ता था। इसलिए पैदा होते ही लड़कियों को चुपचाप मार दिया जाता था। इसी के कारण लिंगानुपात का अन्तर बढ़ता गया।

जैसलमेर जिले की साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 57.22 प्रतिशत व वर्ष 2001 में 50.97 प्रतिशत थी। साक्षरता दर में वृद्धि इस ओर संकेत करता है कि जिले में शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ने लगी, हालांकि पुरुषों की साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर से अधिक है। वर्ष 2001 के अनुसार पुरुष साक्षरता 66.26 प्रतिशत थी जो 2011 के अनुसार 72.04 प्रतिशत हो गई। वही महिलाओं की साक्षरता दर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 32.05 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में 39.71 प्रतिशत हो गई। देखा जाए तो महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है लेकिन पुरुषों की तुलना में अभी बहुत कम है।

डिजिटल साक्षरता का अर्थ –

डिजिटल साक्षरता से तात्पर्य है कि व्यक्ति और समुदायों द्वारा आम जीवन में घटित होने वाली विभिन्न परिस्थितियों में सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को डिजिटल साक्षरता कहते हैं।

डिजिटल साक्षरता डिजिटल युक्तियों से वृहद श्रृंखला जैसे स्मार्टफोन, टेबलेट्स, लेपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कम्प्यूटर जो कि सभी गणन युक्तियों की बजाय नेटवर्क में प्रयुक्त ज्ञान कौशल और व्यवहार है।

डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य –

⇒ डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है।

⇒ जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ना लिखना जानता हो उसे डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण देकर साक्षर बनाना।

डिजिटल साक्षरता की ओर महिलाओं का बढ़ता रुख –

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन में 50 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों में खुले सामान्य सेवा केन्द्रों

यानी सीएससी में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को सरकार प्रोत्साहित कर रही है।

जैसलमेर जिले की बात करें तो प्राचीन युग से वर्तमान में कई बदलाव आए। पहले के समय में बालिका शिक्षा नहीं थी। बालिका का जन्म होने पर उसे मार दिया जाता था लेकिन अब समाज, परिवार जागरुक होने लगे महिलाएँ भी जागरुक होने लगी। इस डिजिटल युग में महिलाएँ स्वयं आत्मनिर्भर बन रही है। डिजिटल रूप से साक्षर होने पर वह अपने परिवार व समाज व गांव के अन्य लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करेंगी। वर्तमान समय में प्रत्येक महिला को डिजिटल साक्षर होना चाहिए और यदि गांव की महिला प्रतिनिधि स्वयं आत्मनिर्भर व डिजिटल रूप से सशक्त होगी तो वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पहुँचायेगी।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका देश के गाँवों में फैली अराजकता दूर करेगी। जैसलमेर के 2020 के चुनाव परिणाम में 7 पंचायत समिति में से 3 में महिला प्रधान चुनी गई व 206 ग्राम पंचायतों में से 107 में लगभग महिलाएँ सरपंच चुनी गई। डिजिटल साक्षरता में जैसलमेर जिले के पूर्व दिशा के गांव साक्षर है। वहां की सरपंच महिलाओं से साक्षात्कार के दौरान वार्तालाप से पता चला कि वहाँ कि सरपंच महिला प्रतिनिधि साक्षर होने के साथ गांव के विकास, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के साथ जीवन कौशल कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा कौशल का ज्ञान देकर लाभान्वित कर रही है।

वहीं दूसरी ओर जैसलमेर जिले के पश्चिम दिशा के गांव डिजिटल दुनिया से दूर है। जो गांव शहर के नजदीक बसे हैं, वह विकसित भी है, वहां की महिला प्रतिनिधि भी जागरुक है और साक्षर भी, लेकिन जैसे–जैसे बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गाँवों का पिछड़ापन भी बढ़ता जाता हैं। वर्तमान समय में भी उनके पास आधारभूत सुविधाओं की कमी है। शिक्षा की कमी, पानी व रोजमर्रा की सुख–सुविधाओं का अभाव है।

अतः यह कहा जा सकता है कि जैसलमेर जिले में एक तिहाई महिला प्रतिनिधि डिजिटल रूप से साक्षर है जो महिला प्रतिनिधि डिजिटल रूप से साक्षर है उनके गांव भी विकसित है।

जैसलमेर जिले में 2020 के चुनावों में निर्वाचित हुई अमरसागर गांव की सरपंच पूनम देवी स्वयं डिजिटल रूप से साक्षर है, वे सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी गांव में सभाओं के माध्यम से देती है। गांव की जनता को जागरुक कर रही है, अमरसागर गांव विकसित भी है।

सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में सभी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को महत्त्व दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य ऑनलाइन (डिजिटल) हो गए हैं, जैसे बिजली का बिल भरना हो, भामाशाह राशि का सीधे खाते में आना, स्कूल की फीस भरना, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा पढ़ाना, सरकारी योजनाओं को मालूम करना, गैस की बुकिंग, जमीन के कागजात देखने, घर में नए सदस्य आने पर उसका रजिस्ट्रेशन, किसी के बीमार होने पर उसके इलाज के लिए सरकारी सहायता लेना आदि कार्य डिजिटल हो गए हैं। देश की प्रत्येक जानकारी के लिए डिजिटल साक्षरता अनिवार्य है। महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए कई डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं –

⇒ इंटरनेट साथी कार्यक्रम
⇒ राजस्थान की ई–सखी योजना
⇒ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
⇒ डब्ल्यू 2 ई 2 कार्यक्रम
⇒ डिजिटल सखी कार्यक्रम
⇒ आरोग्य सखी कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों की सहायता से महिलाएँ डिजिटल साक्षर हो रही है जिससे पंचायत के कार्य आसानी से कर रही है।

निष्कर्ष –

डिजिटल साक्षरता वर्तमान समय में मनुष्य के लिए अनिवार्य है। गाँवों को विकसित करने के लिए महिलाओं को शिक्षित व डिजिटल रूप से साक्षर बनाना आवश्यक है। महिला शिक्षित होगी तो परिवार, समाज, गांव व देश विकसित होगा। डिजिटल शिक्षा के जरिए जहाँ महिलाएँ देश के हर संस्थान से जुड़ सकती है, वहीं महिलाओं के सुरक्षा के लिए तैयार किया डिजिटल एप्लीकेशन उन्हें हर पल सुरक्षित

रखता है। ग्रामीण समाज में एक छोटे से काम के लिए भी ज्यादा पैसे लिए जाते हैं तो कभी उन्हें मूर्ख बना दिया जाता है। इसका कारण डिजिटल ज्ञान व उपकरणों का अभाव है। जिसके कारण वे योजनाओं के बारे में सही तरीके से जान नहीं पाते हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान का मुख्य उद्देश्य भी यह है इस योजना से सभी ग्रामीण महिलाएँ व पुरुष साक्षर हो।

सन्दर्भ :

1. चौहान, डॉ. भीमसिंह, राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं का योगदान, 2011
2. शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार, ग्रामीण विकास समीक्षा, महिला सशक्तिकरण विशेषांक
3. राजस्थान निवार्चन आयोग रिपोर्ट, 2020
4. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
5. www.urban.rajasthan.gov.in
6. www.tourism.rajasthan.gov.in
7. पंवार मंजू, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, कुरुक्षेत्र, अप्रेल, 1996
8. अग्रवाल, डॉ. रूचि, भारतीय लोकतंत्र में महिला विकास से संबंधित समस्याएं एवं समाधान, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2017
9. सिंह डॉ. निशांत, पंचायती राज व्यवस्था, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2007
10. कलकल, स्नेहलता, ग्रामीण नेतृत्व की उभरती प्रवृतियां, क्लासिक पब्लिकेशन्स, जयपुर

IRJMSH

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

UGC ID - 48312

Impact Factor* : 7.1893

Ref:IRJMSH/2021/A1010916

DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.32804/IRJMSH

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

THIS CERTIFIES THAT

RENUKA CHOUDHARY

HAS/HAVE WRITTEN AN ARTICLE / RESEARCH PAPER ON

जैसलमेर जिले में ग्रामीण स्वशासन में महिला जन प्रतिनिधियों की डिजिटल साक्षरता : एक विश्लेषण

APPROVED BY THE REVIEW COMMITTEE, AND IS THEREFORE PUBLISHED IN

Vol - 12 , Issue - 5 May , 2021

IRJMSH

Editor in Chief

www.IRJMSH.com

Google scholar
Academia.edu
Cabell's Directories
Computer Science Directory
Crossref
Microsoft Academic Search
EBSCO HOST
Electronic Journals Service
doi